

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-1/सतना/2018/1174 ✓  
//आदेश//


भोपाल दिनांक 20-6-18

डॉ. एस.पी. गर्ग, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली (वर्तमान में सेवानिवृत्त) को जिले में जननी एक्सप्रेस योजनान्तर्गत कॉल सेन्टर पर लॉगबुक/अभिलेखों का उचित संधारण न होने एवं अभिलेखों में कांट-छांट करने तथा कॉल सेन्टर की मानिट्रिंग एवं कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण में कमी पाये जाने के परिणामस्वरूप संचालनालय पत्र कमांक 1309 दिनांक 17.08.2017 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए प्रतिवाद उत्तर चाहा गया ।

डॉ. गर्ग के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर दिनांक 30.08.2017 में लेख किया है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित कटौती के आधार पर लागबुक परीक्षण उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही की गई है एवं शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया है ।

डॉ. गर्ग के प्रतिवाद उत्तर में उल्लेखित तथ्यों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना से प्राप्त तथ्यों से संबंधित अभिलेखों तथा उनके द्वारा दिये गये अभिमत पर समग्र रूप से विचार किया गया । विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि डॉ. एस.पी. गर्ग तात्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आशय से जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 17.08.2017 निरस्त कर प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित



(डॉ. जे.पी. खरे)

संयुक्त संचालक (शिकायत)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें


मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-1/सतना/2018/1175

भोपाल दिनांक 20-6-18

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., भोपाल म. प्र. की ओर उनकी टीप कमांक 2877 दिनांक 21.06.17 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
4. कलेक्टर जिला सतना म.प्र.।
5. उप संचालक, विज्ञप्त/ गोपनीय/ लीगल स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना की ओर सूचनार्थ ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सतना म.प्र. ।
9. डॉ. एस.पी. गर्ग, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना (वर्तमान में सेवानिवृत्त) की ओर सूचनार्थ द्वारा-क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा ।
10. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. आदेश नस्ति



संयुक्त संचालक (शिकायत)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश